बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– BRRDA(HQ)-MMGSY-185/25 -2554 /पटना, दिनांक–18/9/25

प्रेषक,

अभय झा, भा०प्र०से०
संयुक्त सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (Gen) शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(सामान्य)–लघु शीर्ष–103 –ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष 0113, विपत्र कोड–37–4515001030113 है।

3054–सड़क तथा सेतु–मुख्यशीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष–04–जिला तथा अन्य सड़के, लघु शीर्ष–105–रख–रखाव तथा मरम्मत–उपशीर्ष–0001–ग्राम सड़क–अन्य रख–रखाव व्यय जिसका विपत्र कोड–37–3054–04–105–0001 है। वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए ₹ 2000.00 करोड़ का बजटीय उपबंध प्राप्त है, इसी राशि से पथ के पुर्नस्थापन कार्य हेतु तैयार की जाने वाली पुनरीक्षित प्राक्कलन की अधिकाई राशि का व्यय विकलनीय होगा।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रसंग:– विभागीय पत्रांक–4931 दिनांक–19.11.2014।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (Gen) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए कार्य प्रमंडल, **मुजफ्फरपुर पूर्वी–1** के अधीन प्रासंगिक पत्र के क्रम संख्या–01 पर अंकित योजना Hattha Bazar to Kalyannagar Sahni Tola, Length-1.810 कि०मी० के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के दौरान बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथांश का पुनरीक्षित हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (Gen) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्न तालिका के स्तम्भ–10 में अंकित राशि के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

Table-A

Sl No	Division	Block	Category	Name of Road	Sl No. of SCN	Length (in Km)	Total Population Served	Original Administrative Approval Amount (in Lakh)	Revised Administrative Approval Amount (in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Muzaffarpur East-1	Bandra	Gen	Hattha Bazar to Kalyannagar Sahni Tola	14	1.810	668	133.447	220.130
				Total		**1.810**		**133.447**	**220.130**

2. इस योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है:–

(क) इस योजना को इस वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2025–26 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(ख) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1, प्राक्कलन के विशिष्टिताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1, योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यो को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 स्वीकृत योजना की प्रविष्टि राज्य कोर नेटवर्क के मानचित्र पर भी करना सुनिश्चित करेंगे।

(ड़) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **मुजफ्फरपुर पूर्वी–1** सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत योजना किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

(च) इस योजनाओं को बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथांश के पुर्ननिमाण की राशि 3054 मद् से भारित किया जायेगा।

3. कार्यो का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में किया गया है।
4. सारणी में अंकित उक्त योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय का स्वीकृति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-MMGSY-185/25 के पृष्ठ–20/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।
5. पूरक एकरारनामा में वृद्धि वाले मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के अनुमोदित दर पर एवं नए मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) के अनुसार होगी, जिसके निर्धारण का दायित्व संबंधित अधीक्षण अभियंता का है। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में प्राथमिक एकरारनामा की दर एवं प्राथमिक एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) से अधिक नही होगी।
6. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद् की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. (क) ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

   (ख) कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें।

   (ग) वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम–4–53/2007–12888/वि0, दिनांक–03.03.2024 में निहित निदेशो का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

   (घ) यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

   (ड.) प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण करा लिया गया हैं।

   (च) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर की गई हैं एवं कार्यों को स–समय तथा गुणवत्तापूर्वक कार्य सम्पन्न कराना सुनिश्चित किया गया है। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।

   (छ) संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रविष्टि करा ली गई है।
8. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– BRRDA(HQ)-MMGSY-185/25 पृष्ठ संख्या–23....../टि0 पर दिनांक–17/9/2025को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

18/9/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः BRRDA(HQ)-MMGSY-185/25 2554 /पटना, दिनांक– 18/9/25

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय विभागीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/ संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/9/25

सरकार के संयुक्त सचिव